भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2400

मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नए उद्योगों की स्थापना

2400. श्री जी. सेल्वमः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में स्थापित नए उद्योगों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उद्योगों की स्थापना के लिए आकर्षित किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सहित निवेश का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रोत्साहन, राजसहायता या कर लाभ प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए शुरू की गई प्रमुख नीतियों और पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार किस प्रकार नए उद्योगों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का लाभ उठा रही है;

(च) क्या सरकार संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए वंचित क्षेत्रों में औद्योगिक केंद्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): केन्द्र सरकार, देशभर में औद्योगिक कार्यकलापों के संवर्धन के लिए सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से उचित नीतिगत उपायों द्वारा देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए एक सक्षम ईकोसिस्टम उपलब्ध कराती है। उद्योग विषय मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा नए उद्योगों की स्थापना और उनके निवेश से संबंधित कोई डाटाबेस नहीं रखा जाता है।

अधिक मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिए, भारत सरकार ने निवेशक-अनुकूल एफडीआई नीति लागू की है, जिसमें

नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में स्वतः अनुमोदन मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति है। इसके अलावा, एफडीआई नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत एक आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य बना रहे। पिछले पांच वर्षों के दौरान पूरे देश में एफडीआई अंतर्वाह का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (पी)
एफडीआई अंतर्वाह निधि	74.39	81.97	84.84	71.36	70.94

(पी-अनंतिम)

(ग) और (घ) : सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी), एफडीआई नीति का उदारीकरण, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) योजना आदि जैसे कई कदम उठाए हैं। निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में एक व्यवस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

(ङ) : भारत सरकार की 'अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता देने की योजना', जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में पीपीपी को बढ़ावा देना है, अवसंरचनागत परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए व्यवहार्यता कमी संबंधी वित्तपोषण (वीजीएफ) के रूप में अनुदान सहायता का प्रावधान करती है। इस योजना के तहत वीजीएफ के लिए पात्र क्षेत्रों की सूची में हवाई अड्डे, पत्तन, स्वास्थ्य, दूरसंचार, तेल और गैस पाइपलाइन आदि शामिल हैं।

(च) और (छ) : भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य सुदृढ़ और दीर्घकालिक भविष्य के लिए तैयार शहरों का निर्माण करना और भूखंड स्तर तक पूर्ण "प्लग एंड प्ले" अवसंरचना के साथ मल्टीमोडल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। औद्योगिक कॉरिडोर की परिकल्पना ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों में 'सर्वश्रेष्ठ' अवसंरचना से युक्त वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ऐसे 4 शहरों/कस्बों में प्रमुख अवसंरचना के कार्य पूरे हो चुके हैं, जिसमें गुजरात में

धोलेरा, महाराष्ट्र में शेंद्रा बिदकिन, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी शामिल हैं।

एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किए जा रहे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मुख्य रूप से निजी निवेश-आधारित पहलें हैं। केंद्र सरकार ने एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के बाद कोई भी एसईजेड स्थापित नहीं किया है। इसके अलावा, एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत परिकल्पित राजकोषीय लाभों के अलावा किसी भी नए एसईजेड की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

*****